भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1169
11 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

विषयः- किसानों को डिजिटल पहचान

1169. श्री प्रद्युत बोरदोलोईः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) चालू वित्त वर्ष के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) सहित राज्यवार किसानों को जारी किए गए डिजिटल पहचान पत्रों की संख्या कितनी है तथा इसके लिए निर्धारित लक्ष्य क्या हैं;
(ख) राष्ट्रव्यापी डिजिटल फसल सर्वेक्षण के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) सहित राज्यवार कवर किए गए जिलों की संख्या कितनी है तथा इसके लिए निर्धारित लक्ष्य क्या हैं;
(ग) सरकार द्वारा डिजिटल किए गए कैडस्ट्रल मानचित्रों सहित पुराने तथा गलत भूमि अभिलेखों को अद्यतन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं / उठाए जा रहे हैं;
(घ) क्या सरकार ने कृषि के लिए अलग से डेटा नीति बनाई है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ङ) क्या एग्री स्टैक की विशेषताओं के बारे में काश्तकारों, कृषि मजदूरों तथा बटाइदारों को जानकारी दे दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) दिनांक 07.02.2024 तक कुल 2,05,59,196 किसान आई.डी. बनाई गई हैं। पूर्वोत्तर राज्यों के सभी किसानों की डिजिटल पहचान सहित वर्ष 2026-27 तक 11 करोड़ किसान आई.डी. बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
(ख) खरीफ 2024 में 400 जिलों के लक्ष्य की तुलना में 461 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया गया है। विवरण **अनुबंध** पर दिया गया है।
(ग) से (ङ): एग्रीस्टैक के "राज्य रजिस्ट्री" घटक को एक फेडेरेटेड स्ट्रक्चर में बनाया गया है। इस प्रकार, डेटा का स्वामित्व संबंधित राज्यों के पास है। फेडेरेटेड प्रणाली को डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन (डी.पी.डी.पी.) एक्ट, 2023 के अनुसार गोपनीयता पहलुओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। वर्तमान में, किसान डेटाबेस देश भर में महिला किसानों सहित सभी भूजोत धारक किसानों को कवर करेगा। किसान रजिस्ट्री एप्लिकेशन में काश्तकार और पट्टेदार किसानों को शामिल करने का प्रावधान है। राज्य, अपनी राज्य नीति के अनुसार ऐसे किसानों को किसान रजिस्ट्री में शामिल करने का निर्णय ले सकता है। उत्तराधिकार और भूमि लेनदेन को शामिल करने के लिए भूमि अभिलेखों को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अद्यतन किया जाता है।

अनुबंध

क्रमांक	राज्य का नाम	डीसीएस के तहत कवर किए गए कुल जिले	सर्वेक्षण किए गए कुल भूखंड
1.	उत्तर प्रदेश	75	5,37,13,000
2.	गुजरात	33	82,26,090
3.	बिहार	20	17,35,146
4.	तमिलनाडु	38	1,73,48,823
5.	ओडिशा	30	2,55,72,394
6.	तेलंगाना	32	4,43,225
7.	असम	29	26,24,942
8.	महाराष्ट्र	34	11,17,068
9.	मध्य प्रदेश	55	4,68,41,871
10.	आंध्र प्रदेश	26	1,06,60,474
11.	राजस्थान	50	19,50,466
12.	केरल	03	8,72,655
13.	छत्तीसगढ़	19	24,16,408
14.	पंजाब	06	44,649
15.	कर्नाटक	31	66,87,960

****